कार्यालय कलेक्टर,
जिला नारायणपुर (छ0ग0)

दूरभाष (कार्यालय) 07781—252216 (फैक्स) 252215

—::ज्ञापन::—

क्रमांक / 28 / प्रपत्र / 2018/478 नारायणपुर दिनांक 08 / 05 / 2018

प्रति,

जिला सूचना केन्द्र,
(NIC) जिला नारायणपुर

विषयः— वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिए लेखन सामग्री क्रय करने हेतु निविदा (टेण्डर) आमंत्रित सूची जिला वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।

—00—

विषयांतर्गत कार्यालय कलेक्टर, जिला नारायणपुर के वित्तीय वर्ष 2018—19 लेखन सामग्री क्रय करने हेतु निविदा (टेण्डर) आंमत्रित किया जाना है। निविदा विज्ञप्ति इस पत्र के साथ सलंग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

कृपया सलंग्न विज्ञप्ति का प्रकाशन जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

8/5/18
कलेक्टर
जिला नारायणपुर

कार्यालय कलेक्टर,
जिला नारायणपुर (छ0ग0)
दूरभाष (कार्यालय) 07781 252216 (फैक्स) 252215

—:: लेखन सामग्री हेतु निविदा आमंत्रण ::—

क्रमांक / 28 / प्रपत्र / 2018 / 479 नारायणपुर दिनांक 08 / 05 / 2018

कलेक्टर जिला नारायणपुर छ0ग0 की ओर से लेखन सामग्री के स्थानीय निर्माताओं / अधिकृत विक्रेताओं से मुहर बंद निविदा आंमत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से दिनांक 18.05.2018 के अपरान्ह 3.00 बजे के पूर्व कार्यालयीन दिवस में प्राप्त किये जा सकते है।

निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि 18.05.2018 अपरान्ह 3.00 बजे तक

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 28.05.2018 अपरान्ह 2.00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि 28.05.2018 अपरान्ह 3.00 बजे

8/5/18
कलेक्टर
जिला नारायणपुर

पृ0क्रमांक / 28 / प्रपत्र / 2018 / 480 नारायणपुर दिनांक 08 / 05 / 2018

प्रतिलिपिः—

01. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय (विज्ञापन शाखा) इन्द्रावती भवन ब्लॉक ए नया रायपुर को सूचनार्थ। कृपया राज्य स्तरीय दो समाचार पत्रो में उक्त निविदा को प्रकाशित करने का कष्ट करें।
02. सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क विभाग नारायणपुर को सूचनार्थ एवं निः शुल्क प्रकाशनार्थ हेतु।
03. सर्व तहसीलदार, जिला नारायणपुर को सूचना पटल में प्रकाशन हेतु।
04. जिला सूचना केन्द्र (NIC) जिला नारायणपुर को सूचनार्थ। जिले के वेबसाईड में अपलोड करने हेतु।
05. जिला नाजीर जिला कार्यालय नारायणपुर को सूचना पटल में प्रकाशन हेतु।

8/5/18
कलेक्टर
जिला नारायणपुर

//निविदा की शर्ते//

जिला कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2018–19 में लेखन/स्टेशनरी सामग्री के दर के निर्धारण हेतु दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक की अवधि में क्रय किये जाने के लिए निम्नानुसार अनुबंधो के अधीन निविदा बंद लिफाफा में **दिनांक 28.05.2018 अपरान्ह 2.00 बजे** तक आमंत्रित किया जाता है समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा :–

01. सामग्री का सेम्पल, एवं सेम्पल में आयटम नंबर लिखे जाने एवं संबंधित फर्म के मोहर के साथ प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होना आवश्यक है

02. जिस फर्म की आयटम एवं दर स्वीकृति होगी, उस फर्म को स्वीकृत आयटम ही प्रदाय करने के लिए अधिकृत होंगे अन्य फर्म को यह अधिकार प्राप्त नही होगा।

03. लेखन/स्टेशनरी सामग्री का क्रय आदेश देने के तीन दिवस के भीतर मांग की गई सम्पूर्ण सामग्री एक साथ प्रदाय करना अनिवार्य होगा। मांग की गई सामग्री कार्यालय में पहुचाना अनिवार्य होगा। यह संबंधित फर्म की जवाबदारी होगी। सामग्री अधिकतम दो बार मांगी जाने पर यदि फर्म द्वारा प्रदायं नही की जाती है तो फर्म के विरूद्व शर्त के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।

04. निविदा के साथ कलेक्टर नारायणपुर के पक्ष में 30,000.00 (तीस हजार) रूपयें मात्र का एफ.डी.आर. अथवा सावधि जमा रसीद जिसकी अवधि कम से कम एक वर्ष की होगी, प्रतिभूति के रूप में जमा करना अनिवार्य है। सावधि जमा एफ.डी.आर. संलग्न न होने पर प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जावेंगा।

05. प्रत्येक सामग्री के समक्ष दर सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित किया जावें। न्यूनतम दर स्वीकृत सामग्री जिला के समस्त कार्यालयों में मांग अनुसार प्रदाय करना अनिवार्य होगा। सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। ताकि सामग्री की मांग पत्र अनुसार पूरा–पूरा प्रदाय करे साथ ही गुणवता एवं मात्रा का विशेष ध्यान रखा जाए।

06. स्वीकृत सामग्री कम/खराब अथवा निर्धारित समयावधि में प्रदाय न करने और प्रदाय करने से इन्कार किये जाने पर फर्म द्वारा जमा कि गई प्रतिभूति की राशि शासन के पक्ष में राजसात करने एंव संबंधित फर्म को काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी। इस हेतु न्यायालयीन कार्यवाही मान्य नही होगा। तद्नुसार कलेक्टर नारायणपुर का निर्णय सर्वमान्य होगा।

07. कलेक्टर एवं कलेक्टर के अधीनस्थ कार्यालय द्वारा क्रय आदेश समय–समय पर आवश्यकतानुसार प्रदाय किया जावेगा। सामग्री उधारी में प्रदाय करना होगा। देयक अनुसार राशि की भुगतान की कार्यवाही शासन से उपलब्ध आबंटन के अंनुरूप की जावेगी। आबंटन की अनुपलब्धता के कारण सामग्री प्रदाय करने से इन्कार नही किया जावेगा।

08. प्रस्तुत सेम्पल के गुणवत्ता के आधार पर सामग्री का मूल्य अनुमोदन होगा, जमा प्रतिभूति की राशि दिनांक 31.03.2019 के पश्चात वापस होगा।

09. निविदा में दी गई सामग्री (वस्तु) का ही मूल्य भरें। अन्य ब्रान्ड या सामग्री के मूल्य पर कोई विचार नही कि जावेगी।

10. किसी विवाद के लिए कलेक्टर नारायणपुर का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

11. प्राप्त निविदा को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर नारायणपुर को होगा।

12. जी0एस0टी0 शासन द्वारा निर्धारित दर के अनुसार देय होगा।

13. निविदा दिनांक 09.05.2018 को अपरान्ह 3.00 बजे समिति द्वारा निविदाकारों की उपस्थिति में खोली जावेंगी। निविदाकार अपने हर आयटम का नमूना को लेकर जिला कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। सभी फर्म को निविदा के साथ–साथ सेम्पल भी कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

14. निविदा उन्ही फर्म को स्वीकार की जावेगी जिनका वाणिज्यकर विभाग में (टीन न. /जी.एस.टी. नम्बर प्राप्त हो और जीवित हो। साथ ही कर समाशोधन प्रमाण पत्र और आयटमों का पंजीयन प्रमाण पत्र तथा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत से दुकान एवं स्थापना के पंजीयन का प्रमाण पत्र की सूची भी संलग्न करना अनिवार्य है।

15. इस कार्यालय द्वारा विक्रय निविदा प्रपत्र में प्राप्त निविदा ही स्वीकार योग्य होगा । निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज में फर्म के शील एवं हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

16. किसी भी स्वीकृत फर्म द्वारा नकली सामग्री प्रदाय करने पर उनके विरूद्व संबंधित थाना में (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई जावेंगी।

17. निविदा प्रपत्र में दर्शित सामग्रियों में से प्रदाय सामग्री की मूल्य दर्शाना आवश्यक है।

19. निविदा प्रपत्र तीन लिफाफो में होगें:–

A प्रतिभूति

B कमांक 14 अनुसार प्रमाण पत्र

C दर सूची

सर्वप्रथम A , B खाले जायेंगे तदोपरांत सामग्रियों की गुणवत्ता परखी जायेगी 3.00 बजे बाद अंतिम दर खोली जायेगी।

उपरोक्त निर्देशो/शर्तो को स्वीकार किये जाने पर ही निविदा में उल्लेखित सामग्री का वित्तीय वर्ष 2018–19 में लेखन/स्टेशनरी सामग्री प्रदाय करने हेतु बंद लिफाफा में **दिनांक 28.05.2018 के अपरान्ह 2.00 बजे** तक निविदा स्वीकार किये जायेंगे समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही की जावेंगी।

5/18

कलेक्टर

जिला नारायणपुर